कार्यालय आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर

पुनर्व्यवस्थापन देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों की अनुज्ञप्तियों का आवेदन पत्र प्रणाली में व्यवस्थापन वर्ष 2016–17

विज्ञप्ति

क्रमांक/आब/ठेका/2016/ 4026 रायपुर, दिनांक 24-08-2016

सर्वसाधारण की जानकारी एवं आबकारी के फुटकर ठेकेदारों की विशेष जानकारी के लिए, राज्य शासन के आदेशानुसार, यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि, **बिलासपुर जिले की देशी/विदेशी मदिरा समूह क्रमांक 11, छोटीकोनी समूह तथा रायगढ़ जिले की देशी/विदेशी मदिरा समूह क्रमांक 09 सारंगढ़ बाईपास रायगढ़ एवं समूह क्रमांक 25 तमनार के पुनर्व्यवस्थापन हेतु प्रथम विज्ञप्ति दिनांक 25.08.2016 से दिनांक 29.08.2016 तक इच्छुक आवेदनकर्त्ताओं से निर्धारित प्रपत्र में ऑन–लाईन आवेदन आमंत्रित किए जावेंगे।**

लॉटरी द्वारा चयन की तिथि दिनांक 30.08.2016 समय अपरान्ह 12:00 बजे से तथा लायसेंसी का चयन करने का स्थान जिला कलेक्टोरेट बिलासपुर तथा जिला कलेक्टोरेट रायगढ़ होगा।

2/ आवेदन पत्र **http://excise.cg.nic.in/eApplication** के वेब साईट में उपलब्ध रहेगा।

3/ संबंधित जिले की मदिरा दुकानों के संबंध में विस्तृत जानकारी, संबंधित जिला कार्यालय में अवकाश दिवसों को छोड़कर कार्यालयीन समयावधि में प्राप्त की जा सकती है।

4/ शेष समस्त शर्तें एवं निर्बन्धन, इस कार्यालय द्वारा जारी विज्ञप्ति क्रमांक/आब./ठेका/2016/491–492, रायपुर दिनांक 10.02.2016 के अनुसार ही होगी, जिसका अवलोकन संबंधित जिला कार्यालय में अवकाश दिवस को छोड़कर कार्यालयीन अवधि के अतिरिक्त विभाग के वेबसाईट **http://excise.cg.nic.in** के Recent Posts में तथा राज्य शासन के वेबसाईट http://cgstate.gov.in के सूचना निर्देशिका एवं लिंक http://cgstate.gov.in /tenders में प्राप्त किया जा सकता है।

5/ इसके बाद भी यदि आवेदन प्राप्त नहीं होते है तब विभाग **प्रथम आओ–प्रथम पाओ** की नीति पर उक्त दुकानों का व्यवस्थापन कर सकेगा।

(ए. के. अग्रवाल)
आबकारी आयुक्त
छत्तीसगढ़, रायपुर

पृ. क्रमांक / आब. / ठेका / 2016 / 4027 रायपुर, दिनांक 24-08-2016

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव मान. मंत्री जी, वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, कैपिटल काम्प्लेक्स, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, कैपिटल काम्प्लेक्स, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर को उक्त विज्ञप्ति की 10 प्रतियां भेजकर अनुरोध है कि, उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन राष्ट्रीय / राज्य स्तरीय / जिला स्तरीय समाचार पत्रों में तत्काल प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
4. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर,
5. कलेक्टर, जिला–बिलासपुर, रायगढ़ (छ.ग.)
6. समस्त अपर आयुक्त आबकारी, उपायुक्त आबकारी एवं सहायक आयुक्त आबकारी, मुख्यालय, रायपुर,
7. राज्य सूचना एवं विज्ञान केन्द्र अधिकारी, मंत्रालय, महानदी भवन, कैपिटल काम्प्लेक्स, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
8. सहायक महाप्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैरन बाजार, रायपुर
9. उपायुक्त आबकारी, राज्य स्तरीय उड़नदस्ता, छत्तीसगढ़, रायपुर
10. उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, संभाग–रायपुर, बिलासपुर, बस्तर (छ.ग.)
11. उपायुक्त आबकारी, जिला–रायपुर (छ.ग.)
12. समस्त सहायक आयुक्त आबकारी / समस्त जिला आबकारी अधिकारी (छ.ग.)

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

24.8.16

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,
आबकारी विभाग, छ.ग., रायपुर

कार्यालय आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर

देशी/विदेशी मदिरा फुटकर दुकानों के आवेदन प्रणाली में व्यवस्थापन वर्षः– 2016–17 हेतु (दिनांक 01.09.2016 से 31.03.2017 तक) दुकानवार निर्धारित राजस्व

क्र.	नाम जिला	समूह क्रं.	नाम दुकान/समूह का नाम	तहसील का नाम	न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा वर्ष 2016–17			ड्यूटी की राशि वर्ष 2016–17 में) (रूपयों			योग ड्यूटी राशि (रू.में) (कालम 9+10+11)	01.09.2016 से 31.03.2017 के लिये लायसेंस फीस वर्ष 2016–17 (रूपयों में)	वर्ष 2016–17 हेतु शेष माहों के लिए निर्धारित राजस्व (रू.में) (कालम 12+13)	शेष माहों के लिए ड्यूटी राशि की प्रतिभूति राशि (रूपयों में)	शेष माहों के लिए लायसेंस फीस की प्रतिभूति राशि (रू.में)	माह सितम्बर 2016 की अग्रिम लायसेंस फीस की राशि (रू.में)
					दे.म. (प्रू.ली. में)	विदेशी मदिरा		दे.म. (रू. में)	विदेशी मदिरा							
						स्प्रिट (प्रू.ली.में)	माल्ट (ब.ली.में)		स्प्रिट (रू.में)	माल्ट (रू.में)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	बिलासपुर	11	छोटीकोनी	बिलासपुर												
		1	दे.म. छोटीकोनी		38334	0	0	3833400	0	0	3833400	7119172	10952572	547629	1017025	1017028
		2	वि.म सरकण्डा		0	111285	62615	0	13910625	1565375	15476000	28741143	44217143	2210857	4105878	4105881
			योगः–	बिलासपुर	**38334**	**111285**	**62615**	**3833400**	**13910625**	**1565375**	**19309400**	**35860315**	**55169715**	**2758486**	**5122903**	**5122909**
2	रायगढ	09	सारंगढ़ बाईपास	रायगढ़												
		1	दे.म.दु. सारंगढ़ बाईपास		85840	0	0	8584000	0	0	8584000	16033334	24617334	1233333	2290476	2290476
		2	वि.म.दु. सारंगढ़ बाईपास		0	73080	35550	0	9135000	888750	10023750	19202084	29225834	1477083	2743155	2743155
			योग :–		**85840**	**73080**	**35550**	**8584000**	**9135000**	**888750**	**18607750**	**35235418**	**53843168**	**2710416**	**5033631**	**5033631**
		25	तमनार	तमनार												
		1	दे.म.दु. तमनार		40020	0	0	4002000	0	0	4002000	7475001	11477001	575000	1067857	1067857
		2	वि.म.दु. तमनार		0	53940	28125	0	6742500	703125	7445625	14286459	21732084	1098958	2040923	2040923
			योग :–		**40020**	**53940**	**28125**	**4002000**	**6742500**	**703125**	**11447625**	**21761460**	**33209085**	**1673958**	**3108780**	**3108780**
जिलायोग					**125860**	**127020**	**63675**	**12586000**	**15877500**	**1591875**	**30055375**	**56996878**	**87052253**	**4384374**	**8142411**	**8142411**

टीप :– चयनित लायसेंसी द्वारा प्रतिभूति एवं लायसेंस फीस की राशि जिस तिथि को जमा की जावेगी, उसके पूर्व की तिथियों का समानुपातिक रूप से गणना कर एम. जी. एवं राजस्व में कमी की जावेगी।

24-8-16

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
आबकारी विभाग, छ.ग. रायपुर